प्र. सं. 05/2024 विविध अनवानी राजेश कुमार बनाम स्टेट
जरिये थानाधिकारी पु. थाना गोलूवाला

तारीख हुक्म जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..10.2024	अभिभाषकगण उपस्थित। वाहन मालिक राजेश कुमार पुत्र पप्पूराम जाति बावरी निवासी 23 बी.बी. तहसील पदमपूर जिला गंगानगर ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10..2024 की पालना में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 को सुपुर्दगी में लेने हेतु 3 लाख का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामा सशर्त सहित आज दिनांक 30..10.2024 को पेश किये है। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा को तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा की शर्ते निम्नानुसार हैः– 1. सुपुर्दगी हेतु स्वयं मालिक के उपस्थित होने पर ही सुपुर्दगी प्रदान की जायेगी। 2. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 को किसी अन्य को रहन बैय, किसी प्रकार से अन्तरित तथा खुर्द नहीं करेगा। 3. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 के रंग रूप तथा आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। 4. न्यायालय द्वारा जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 को तलब करने पर सुपुर्दगीदार स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा। 5. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 की आगे पीछे की रंगीन दो फोटो पेश करेगा। 6. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर अपने हस्ताक्षरों सहित पेश करेगा। 7. वाहन की पंजीयन कॉपी व एक प्रमाणित प्रति। 8. जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 की ओवर हाइट बाडी का टैक्स संबधित जिला परिवहन अधिकारी को जमा करवायेगा 9. थानाधिकारी पुलिस थाना, गोलूवाला द्वारा दिनांक एफ.आई.आर. सं. 299 दिनांक 15.09.2024 में वजह सबूत जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. . RJ13-GC- 0815 की सुपुर्दगी इस प्रार्थना पत्र की हद तक रहेगी। जब्तशुदा वाहन का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना, गोलूवाला को आदेश दिये जाते हैं कि एफ.आई.आर. सं. 299 दिनांक 15.09.2024 में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि. नं. RJ13-GC- 0815 का न्यायिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में जांच आदि हेतु वाहन की आवश्यकता ना हो तो उक्त जब्तशुदा वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर वाहन की पंजीयन कॉपी से मिलान होने पर ही वाहन राजेश कुमार पुत्र पप्पूराम जाति बावरी निवासी 23 बी.बी. तहसील पदमपूर जिला गंगानगर को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया जाये। वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को भिजवायें। आदेशिका की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, गोलूवाला को जरिये पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (कानाराम) जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर एवं हनुमानगढ़ जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	राजेश कुमार ५/२०/०/२४